[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 30 अक्तूबर, 2023

का.आ.....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध लागू होंगे।

[फाइल सं. 1/3/2020-सीएल.।]

(इन्द्र दीप सिंह धारीवाल) संयुक्त सचिव, भारत सरकार [To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30 October, 2023

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 30th day of October, 2023 as the date on which the provisions of section 5 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /3 /2020-CL.I]

(Inder Deep Singh Dhariwal) Joint Secretary to the Government of India